

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

भीलवासी अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-60/2019 प्रार्थना पत्र

- 1-श्रीमति लाडू देवी पत्नि तेजपाल कुमावत, उम्र बालिग निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्रीमति मांगी देवी पत्नि हीरालाल कुमावत, उम्र बालिग निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-श्रीमति प्रेम देवी पत्नि शंकरलाल कुमावत, उम्र बालिग निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान) -----प्रार्थीगण

- बनाम
- 1-श्री रामा पिता उदा गूजर, उम्र बालिग निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
  - 2-श्री उदा पिता कालू गूजर, उम्र बालिग निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
  - 3-श्री छीतर पिता कालू गूजर, उम्र बालिग निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
  - 4-श्री जगदीश पिता मांगीलाल सुथार, उम्र बालिग निवासी जवाहरनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
  - 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-22.3.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोचरिया पटवार हल्का कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 294, 296, 7 कुल कित्ता 3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित राजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.2.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर ऐसे सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् गाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.3.2019 को एक तरफा निर्वाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफ बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, जल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::



उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956  
तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कोचरिया पटवार हल्का कोंचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में  
थत हाल आराजी नम्बर 294, 296, 297 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि की सीमा  
नकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये  
अभिलेख निरीक्षक, गुरंला को 700/-रूपये (सात सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त  
किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान्  
नी मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा  
ने पालना हेतु लिखा जावें।



निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा